बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 50 ● नई दिल्ली ● सोमवार 01 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

एमसीडी उपचुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका, पूर्व एमएलए राजेश गुप्ता बीजेपी में शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में उपचुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वजीरपुर के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता प्रदान की। राजधानी दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार शुक्रवार शाम 5 बजे खत्म हो गया। अब रविवार को वोटिंग होगी, जबकि काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी। इन 12 सीटों पर 51 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 6,99,537 वोटर करेंगे।

अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र का बड़ा फैसला

नई दिल्ली । मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौतों के मामले सामने आए थे. इन मामलों के बाद प्रदेश के साथ ही देश भर में हड़कंप मच गया था. अब इन मामलों को केंद्र सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है और इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. इसके तहत अब देश भर के दवा विक्रेता बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप नहीं बेच सकेंगे. सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने अपनी 67वीं बैठक में कफ सिरप की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह फैसला किया है, जिसके बाद अब देश भर में आसानी से कफ सिरप उपलब्ध नहीं होगा. सरकार का लक्ष्य है कि लोग ओवर द काउंटर की जगह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवा लें. अब तक ज्यादातर कफ सिरप ओवर द काउंटर बेचे जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद अब इस पर लगाम लग सकेगी. सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने 67वीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत अब कफ सिरप को उन दवाओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिन्हें ओवर द काउंटर बेचा जा सकता है. देश और देश के बाहर कफ सिरप पीने के बाद पिछले दिनों बच्चों की मौतों के कई मामले सामने आए थे. बच्चों की मौतों के साथ ही

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी खराब हो रही थी, जिसके मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है. साथ ही सरकार की कोशिश है कि लोग दवा विक्रेताओं से सीधे दवा न खरीदें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दवा लें. इसके कई फायदे हैं. एक तो दवाओं के नशे के लिए इस्तेमाल पर रोक लगेगी. दूसरी ओर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कई बार लोग बिना किसी जरूरत के धड़ल्ले से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं. इसके कारण एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती है और शरीर में संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं. बता दें कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में कम से कम 24 बच्चों की कोल्ड्रिफ सिरप पीने के बाद गुर्दे की खराबी से मौत हो गई. साथ ही राजस्थान और गुजरात सहित कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे ही मामले सामने आए थे. देश के साथ ही अन्य देशों से भी ऐसे मामले सामने आने के बाद देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान झेलना पड़ा था. खासतौर पर उज्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप पीने के बाद 68 बच्चों की मौत के मामले में 21 लोगों को सजा सुनाई गई थी. इसी तरह इंडोनेशिया में भी ऐसे ही कफ सिरप पीने से 2022 और 2023 के बीच 200 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी. गाम्बिया में भी ऐसे ही मामले सामने आए थे. इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत में बनी तीन मिलावटी दवाओं की पहचान की थी. इनमें श्रीसन फार्मास्युटिकल्स की कोल्ड्रिफ के अलावा रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स की रेस्पिफ्रेश टीआर और शेप फार्मा की रीलाइफ भी शामिल थी.

दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए? रेखा सरकार की 19 एजेंसियों से पीएम मोदी का सवाल; मांगी एटीआर

नई दिल्ली।

दिल्ली के प्रदूषण पर अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने नजर रखनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम पर कर रहीं 19 एजेंसियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। जिस पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने परिवहन विभाग व लोक निर्माण विभाग सहित 19 एजेंसी को पत्र भेजे हैं। गत 25 नवंबर को भेजे गए इन पत्रों में पूछा गया कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी जनसभाओं में यह बात साफ कर दी थी कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की हर समस्या के समाधान पर उनकी नजर रहेगी और हर समस्या के समाधान को लेकर किया जा रहे प्रयासों पर वह समीक्षा करेंगे। इसका असर यह हुआ कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को

सत्ता में ला दिया और प्रधानमंत्री ने भी दिल्ली की सभी समस्याओं को लेकर अपनी नजर बढ़ा दी है। प्रदूषण को ही लें तो प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में इसे लेकर टास्क फोर्स बनाया जा चुका है।

हवा-हवाई जानकारी नहीं, जमीनी हकीकत बताएं

जिसकी 23 अक्टूबर को हुई बैठक में दिल्ली के प्रदूषण को दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर गंभीरता से काम करने के लिए निर्देश दिए गए थे। सूत्रों की मानें तो बैठक में यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि प्रयासों की हवा-हवाई जानकारी न देकर उन्हें समस्या और किया जा रहे हैं प्रयासों की जमीनी हकीकत के बारे में बताया जाए, ताकि किसी समस्या को हल करने में अगर कोई अड़चन आ रही है तो उनके स्तर पर उसे दूर किया जाए, सभी विभाग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगे हैं दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सभी एजेंसियों से जो एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। इसमें से कुछ विभागों ने अपनी रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को सौंप दी है, अन्य की भी जल्द मिलने की उम्मीद है। जिनके माध्यम से इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा जाना है।

इन एजेंसियों से मांगी गई है रिपोर्ट

दिल्ली नगर निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली यातायात पुलिस, राजस्व विभाग, दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, दिल्ली विकास बोर्ड, एनबीसीसी, दिल्ली छावनी बोर्ड, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम और एनसीआरटीसी शामिल हैं।

ब्रेकअप पर मेकअप का खेल? सिद्धारमैया-शिवकुमार की एकता पर बीजेपी का वार, कहा- जनता की चिंता नहीं, सियासत हावी

नई दिल्ली । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को नेतृत्व में बदलाव और अपने और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच मतभेदों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच अछे संबंध हैं और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। इसके अलावा, शिवकुमार ने कांग्रेस की राय इकाई के भीतर एकजुटता पर ज़ोर दिया और कहा कि वह कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों का पालन करते रहेंगे और इस बात पर ज़ोर दिया कि पार्टी में कोई आंतरिक गुटबाज़ी नहीं है। हालांकि, इसको लेकर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह मुलाकात कोई ब्रेकफास्ट मीटिंग नहीं थी। यह ब्रेकअप मीटिंग और ब्रेकअप पर मेकअप मीटिंग थी। वे मेकअप और एकता के नाश्ते से अपने ब्रेकअप को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। ढ्रहण का मतलब है मुझे कन्फ्यूज़न देखना है। वे कहते हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं था... खड़गे ने कहा है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने कहा है कि वे मुझे मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। विरप्पा मोइली ने कहा है कि नेतृत्व बहुत गैर-ज़िम्मेदार है कि ऐसे मुद्दे पैदा होने दिए जाएँ। तो ये सब झूठ था। भाजपा नेता ने कहा कि हमने इन दोनों नेताओं के बीच ट्वीट वॉर भी देखा है। आज, वे एकता में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेता के पुरस्कार के हक़दार हैं... आज, एक बात बिल्कुल साफ़ है- इस नाश्ते की मेज़ पर कर्नाटक के लोग नहीं थे... यह सिर्फ़ राजनीति की बात थी, लोगों की नहीं। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कर्नाटक की लंबे समय से पीड़ित जनता को यह एहसास हो गया है कि राहुल गांधी और सिद्धारमैया के झूठे वादों पर विश्वास करके और वास्तव में भाजपा सरकार के खिलाफ झूठे आख्यान का शिकार होकर उन्होंने कांग्रेस को जनादेश देकर कितनी बड़ी गलती की थी। सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच तनाव लंबे समय से चल रहा है। माना जा रहा है कि 2023 के कर्नाटक चुनावों के दौरान कांग्रेस एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है जिससे दोनों नेता पाँच-पाँच साल का कार्यकाल बाँटकर मुख्यमंत्री पद साझा कर सकें। सिद्धारमैया अब अपने कार्यकाल का आधा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, ऐसे में शिवकुमार के खेमे में यह माँग उठने लगी है कि उन्हें शेष अवधि के लिए शीर्ष पद दिया जाना चाहिए।

पान मसाला के मालिक की बहू की आत्महत्या के मामले में हुआ बड़ा खुलासा- पति और सास पर दर्ज हुआ केस

नई दिल्ली । दिल्ली के वसंत विहार इलाके में कमला पसंद पान मसाला कारोबारी कमल किशोर चौरसिया की बहू की आत्महत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कारोबारी की बहू दीप्ति के कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इस नोट और परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने उनके पति और सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कमरे से बरामद हुए सुसाइड नोट में यह लिखा हुआ था कि आत्महत्या करने के लिए पति हरप्रीत चौरसिया और उनकी मां (सास) ने उकसाया है। इसके चलते दोनों के खिलाफ BNS की धारा 108/3(5) (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दीप्ति के कमरे से बरामद नोट में लिखा था कि ÷अगर रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं है तो जिंदगी का क्या मतलब है? दूसरी ओर दीप्ति के मायके वालों ने पति-पत्नी के बीच लंबे समय से अनबन और मनमुटाव होने का दावा किया है। दीप्ति के भाई ऋषभ ने मीडिया को बताया कि उनकी बहन और हरप्रीत के बीच लगातार झगड़े होते थे। उन्होंने दावा किया कि हरप्रीत का कथित तौर पर अफेयर चल रहा था और दीप्ति को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। ऋषभ के अनुसार पिछले साल भी मारपीट और अफेयर की शिकायत के बाद वे दीप्ति को मायके ले आए थे, लेकिन ससुराल वालों के आश्वासन के बाद उन्हें वापस भेजा गया था। हाल ही में दीप्ति ने उन्हें फिर से पति के अफेयर के बारे में बताया था।

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी सात दिन और बढ़ी, इस वजह से एनआईए मुख्यालय में हुई सुनवाई

नई दिल्ली । राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की न्यायिक हिरासत को सात दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय एनआईए मुख्यालय में एक विशेष सुनवाई के दौरान लिया गया। अनमोल बिश्नोई ने अदालत में एक आवेदन दायर कर अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। अमेरिका से भारत आने पर एनआईए की टीम ने अनमोल को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। जहां से 11 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और उसके करीबी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लौटने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि अनमोल को अमेरिका ने मंगलवार को भारत डिपोर्ट कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने उसे पकड़ लिया। बिश्नोई गिरोह के विभिन्न सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हुए, अनमोल ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए अमेरिका से आतंकवादी सिंडिकेट चलाना और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। इसके लिए उसने जमीनी स्तर पर उसके गुर्गों का इस्तेमाल किया। जांच से पता चला है कि अनमोल बिश्नोई ने गिरोह के शूटरों और जमीनी गुर्गों को आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। वह अन्य गैंगस्टरों की मदद से विदेशी धरती से भारत में जबरन वसूली में भी शामिल था। एनआईए, आतंकवादियों, गैंगस्टरों और हथियार तस्करों के बीच गठजोड़, जिसमें उनका बुनियादी ढांचा और धन स्रोत शामिल हैं, को नष्ट करने के अपने प्रयासों के तहत, आरसी 39/ 2022 /एनआईए/ डीएलआई (लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व में आतंकवादी-गैंगस्टर षड्यंत्र मामला) मामले की जांच जारी रखे हुए है। अनमोल बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी है। सलमान खान के घर हुई फायरिंग और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से भी उसका कनेक्शन है। अनमोल बिश्नोई को दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने पकड़ लिया। अनमोल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी है। उसके खिलाफ कई राज्यों में गंभीर अपराध के मामले दर्ज है। अनमोल ने 2020-2023 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में नामित आतंकवादी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई की सक्रिय रूप से सहायता की थी। इसके अलावा साल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना में भी अनमोल वॉन्टेड है। यह हमला बिश्नोई गैंग के इशारे पर किया गया था। अनमोल बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में भी आरोपी है। वह मुख्य साजिशकर्ता है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्तूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा स्थित कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस इस मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चार्जशीट में अनमोल को 'मुख्य साजिशकर्ता' बताया गया है और उसे वांछित आरोपियों की सूची में रखा गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कथित तौर पर सलमान खान से उनकी करीबी और भावनात्मक लगाव के कारण की गई।

सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से कनेक्शन

मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसमें भी अनमोल बिश्नोई ने मदद की। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में मूसे वाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर के बाद ही अनमोल का नाम पहली बार चर्चा में आया। पंजाब पुलिस की जांच में पता चला था कि लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। उसके भाई अनमोल और भतीजे सचिन ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया।

सलमान के मामले में क्या-क्या हुआ

सलमान खान के मुंबई स्थिति गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल, 2024 को गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी खुद अनमोल बिश्नोई ने ली थी। चार्जशीट में कहा गया कि उसने शूटर्स को 9 मिनट का ऑडियो भेजकर उन्हें %इतिहास रचने% के लिए उकसाया था।

क्यों सलमान खान को दुश्मन मानता है बिश्नोई गैंग?

फिल्म हम साथ साथ हैं (1999) की शूटिंग के दौरान सलमान खान काले हिरण के शिकार मामले में फंसे थे। तब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभिनेता के पीछे पड़ा है। सलमान पर आरोप है कि साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जंगलों में काले हिरण का शिकार किया था। सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी पर भी आरोप लगे थे।

बिश्नोई समाज ने तब सलमान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। सलमान को इसके लिए जोधपुर कोर्ट ने पांच साल की सजा भी सुनाई थी, हालांकि, बाद में उन्हें इस मामले में बेल मिल गई।

मगर, बिश्नोई गैंग इस मामले को लेकर सलमान खान को दुश्मन मान बैठा है और कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है।

संसद का शीतकालीन सत्र....

भारत की संसदीय प्रणाली में यह बहस 70 के दशक से चलती रही है कि संसद और उच्चतम न्यायालय में से सर्वोच्च कौन है ? परन्तु इसका उत्तर भी तभी मिल गया था कि संसद की सर्वोच्चता कानून बनाने के मामले में शिखर पर है मगर यह संविधान के उस मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकती जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानन्द भारती मामले में की थी। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि संसद नागरिकों को मिले मूलभूत संवैधानिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती और भारत राष्ट्र के आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को यह नहीं बदल सकती। मगर संविधान में सभी धर्मों का समान रूप से आदर करने की बात कही गई है न कि बराबर की दूरी बनाने की । इस मामले में भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा यूरोपीय ढांचे से अलग माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता और विपक्ष में बैठे हुए राजनैतिक दलों के नेता गण अपने-अपने धर्म का पालन कर सकते है। चूंकि संविधान प्रत्येक धर्म के मानने वाले नागरिक को बराबर के अधिकार देता है अतः सत्ता में बैठे लोगों द्वारा प्रत्येक धर्म का आदर करना कर्तव्य हो जाता है। ये ऐसे सवाल है जिन पर संसद में अब खुल कर चर्चा होनी चाहिए मगर सवाल यह है कि इसके लिए संसद बाकायदा तरीके से चले। एक तो संसद के सत्र लगातार छोटे होते चले जा रहे हैं और ये छोटे सत्र भी चल नहीं पाते हैं। यह सच है कि संसदीय प्रणाली में संसद पर पहला अधिकार विपक्ष का होता है। मगर विपक्ष का यह कर्तव्य भी बनता है कि वह सरकार की आलोचना में सकारात्मक रुख अपनाये जिससे संसद में कम से कम व्यवधान पैदा हो सके और इसकी उत्पादकता बनी रहे। लोकतन्त्र में संसद केवल वाद-विवाद का स्थल नहीं होती बल्कि यह ठोस निर्णय करने वाली संस्था होती है जिसमें विपक्ष की बराबर की भागीदारी रहती है। संसदीय लोकतन्त्र का विपक्ष महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इसकी सक्रिय भागीदारी से ही संसद में विभिन्न सरकारी व विधायी कार्य होता है। यदि ऐसा न होता तो सरकार द्वारा पेश किये गये हर विधेयक पर सदन में बहस कराने का प्रावधान न होता। इसकी वजह यही है कि संसद में बहुमत होने के बावजूद सरकार विपक्ष के सुझावों से लाभान्वित हो सके और जनहित में विधेयकों में संशोधन या सुधार कर सके। लोकतन्त्र में सत्ता व विपक्ष दोनों का चुनाव आम जनता ही अपने एक वोट के माध्यम से करती है। इस वोट की कीमत एक बराबर होती है। झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के वोट की कीमत भी वही होती है जो टाटा या बिड़ला द्वारा दिये गये वोट की। अतः चुने गये प्रत्येक संसद सदस्य की हैसियत भी एक समान होती है ।

संसद में पहुंचे प्रत्येक संसद सदस्य के अधिकार या विशेषाधिकार भी इसीलिए एक बराबर होते हैं चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का अथवा उसकी पार्टी चाहे कोई भी हो। सत्ता पक्ष में रहने वाले सांसद को भी अपनी ही सरकार से सवाल पूछने का बराबर का हक होता है। आजादी के बाद जब शुरू में संसद में गिने-चुने ही विपक्ष के सांसद होते थे तो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के ही सांसद सरकार से सर्वाधिक सवाल पूछते थे। परन्तु ये सारे काम तभी हो सकते हैं जबकि संसद सुचारू रूप से चले। पिछले लगभग तीस साल से देश में राजनीति का जो दौर चल रहा है उसमें संसद में व्यवधान आम बात हो गई है और इस हद तक हो गई है कि पूरे का पूरा सत्र ही व्यवधान की भेंट चढ़ जाता है। विपक्ष और सत्तापक्ष जिद पर अड़ जाते हैं जिसके चलते गतिरोध पैदा हो जाता है और इस गतिरोध के टूटने के आसार खत्म होते चले जाते हैं। इसके साथ ही संसद से धीरे के भाव में सांसदों के निलम्बन की नई परंपरा भी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति संसदीय लोकतन्त्र में कभी नहीं आनी चाहिए क्योंकि इससे सांसदों को चुनने वाली जनता के अधिकारों का हनन ही होता है। परन्तु हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है जिसके लिए सत्ता व विपक्ष दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। निश्चित रूप से यह स्थिति संसदीय लोकतन्त्र के लिए घातक है। भारत चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय लोकतन्त्र है अतः भारत की संसद में जो उदाहरण बनता है उसका असर विश्व स्तर तक होता है। संसद की गरिमा भी इस सवाल से पूरी तरह बंधी रहती है।

प्रश्न यह है कि संसद में व्यवधान की स्थिति को कैसे टाला जाये ? हालांकि संसद व सरकार के भीतर ही इस परिस्थिति को टालने के लिए पूरा तन्त्र विद्यमान रहता है। सरकार में एक संसदीय कार्य मन्त्री होते हैं जिनका मुख्य कार्य ही संसद को सुचारू ढंग से चलाने की परिस्थितियों का निर्माण करना होता है। जब किसी विषय या मुद्दे पर व्यवधान लम्बा खिंचता है तो उसमें सरकार व विपक्ष दोनों की ही असफलता छिपी रहती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि संसद के दोनों सदनों को व्यवधान रहित ढंग से चलाने में इनके पीठासीन अध्यक्षों की भूमिका भी अत्यन्त महत्वपूर्ण रहती है। लोकतन्त्र में यह भूमिका पूरी तरह निरपेक्ष भाव से निभाने की दरकार रहती है और प्रायः अध्यक्ष ऐसा करते भी हैं परन्तु फिर भी सदन में गतिरोध बना रहता है। हमने पिछले वर्षाकालीन सत्र में ही देखा कि बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण(एस.आई.आर) के मुद्दे पर दोनों पक्षों में गतिरोध इस कदर बना कि संसद की कार्यवाही सुचारु ढंग से नहीं चल सकी। विपक्ष मांग कर रहा था कि बिहार में एस.आई.आर पर सदन में बहस या चर्चा हो मगर सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके पक्ष में उसका तर्क भी वजनदार और ग्राह्य था कि पुनरीक्षण चुनाव आयोग करा रहा है जो कि एक स्वतन्त्र व स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। अतः उसकी ओर से सरकार को जवाब देने का हक नहीं है। यदि विपक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो चुनाव आयोग अपना पक्ष रखने के लिए संसद में कहां से आयेगा । इस तर्क में भी वजन था अतः इस मुद्दे पर लम्बा गतिरोध बन गया और संसद की कार्यवाही बाधित होती रही। हालांकि सरकार ने अपना विधायी कार्य तो बहुमत के बूते पर पूरा करा ही लिया मगर विपक्ष की उसमें भागीदारी नगण्य रही। संसदीय कार्यमन्त्री श्री किरण रिजिजू ने अंग्रेजी दैनिक अखबार को एक साक्षात्कार दिया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि यदि विपक्ष आगामी 1 दिसम्बर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्दा उठाना चाहता तो उसे इसकी इजाजत नहीं मिल सकती क्योंकि यह मामला चुनाव आयोग के फैसले से जुड़ा हुआ है। हां अगर चुनाव आयोग या चुनावों प्रणाली में संशोधन का विषय हो तो उसे संसदीय नियमों के तहत इजाजत मिल सकती है। इसके साथ ही एस.आई.आर का मसला सर्वोच्च न्यायालय के भी विचाराधीन है ।

ऐसी सूरत में संसद में इस विषय पर बहस कैसे हो सकती है ? श्री रिजिजू के अनुसार विपक्ष सदन में व्यवधान पैदा करके अपने लिए ही मुसीबत पैदा करता है क्योंकि जब जनहित से जुड़े अन्य विषयों पर ध्यान नहीं खींच पाता है। देखने वाली बात यह होगी कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की रणनीति क्या होगी। जहां तक सरकार का सवाल है तो सत्र से पहले ही उसने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है।

सम्पादकीय...

सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज

भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है जो विस्तृत है, लचीला है और उसमें कभी भी संशोधन करने की मजबूत प्रक्रिया है। देश के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की 75वीं वर्षगांठ पर गंभीर चर्चा, कार्यशाला, वार्तालाप और संवाद होना चाहिए था लेकिन सरकारी खानापूर्ति और संवाद साधनों द्वारा मामूली खबर के रूप में लेना अचरज का विषय है। इस विशेष अवसर पर अनेक सप्ताह तक विचारमंथन होना चाहिए था क्योंकि संविधान प्रत्येक भारतीय के जीवन, व्यवहार और उसके आचरण का निर्णायक होता है। उसके प्रावधानों का दुरुपयोग न हो सके इसलिए निगरानी और सतर्कता आवश्यक है। अनेक संशोधन होने के बावजूद मूलभूत समस्याओं से प्रत्येक नागरिक जूझ रहा है, इसका विश्लेषण होना चाहिए। संविधान ने हमारे मौलिक अधिकार तय कर दिए हैं लेकिन वे सब को मिलते क्यों नहीं, यह जानना आवश्यक है। समता यानी बराबरी का अधिकार है और उसके साथ ही धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न करने का निर्देश भी है। कानून के सामने सब बराबर हैं, सही है लेकिन इसे सिद्ध करना लंबी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पीढ़ियां तक गुजर जाती हैं। कहने को सभी के लिए समान अवसर हैं लेकिन व्यवहार में पैसा, पहुंच और ताकत का इस्तेमाल करने की सामर्थ्य रखने वाला ही उपयुक्त पाया जाता है। इसी तरह शेष सभी अधिकार हैं जो संविधान में बड़े सुंदर और प्रभावशाली शब्दों में लिखे गए हैं लेकिन उन्हें पाना हिमालय की चोटी पर चढ़ने जैसा है जो हरेक के बस का नहीं है। कुछ नए संशोधन आवश्यक हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति संशोधन- महत्वपूर्ण विषय है। रिश्वतखोरी रोकने की सजावटी कोशिशें की जाती हैं और इसीलिए इसका बोलबाला कम नहीं होता बल्कि महिमा मंडन होता है। भ्रष्टाचारी की पहचान हो जाने और आरोप सिद्ध होने पर भी उसे दंड नहीं मिलता या कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक कितने भी दोषी छूट जाएं लेकिन एक भी निर्दोष को सजा न हो, के आधार पर सभी आरोपी धीरे-धीरे मुक्त होकर वही करने लगते हैं जिसके वे आरोपी थे। जेल में रहे भी तो जी भर कर सभी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। ऐसे में संविधान के अनुसार कानून का क्या मतलब है, इसके लिए ऐसा संशोधन जरूरी है कि जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होकर सजा मिली हो और सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो गए हों, उसे मोहलत दिए बिना कम से कम उम्रकैद या फांसी की सजा हो। शिक्षा, इंटरनैट और डिजिटल संसाधन तक पहुंच सकने का मौलिक अधिकार हो- देश की गरिमा के लिए हरेक व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है और शिक्षा भी कैसी जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान विज्ञान पर आधारित होने के साथ आधुनिक ज्ञान का भंडार हो। इसके लिए इंटरनैट, डिजिटल संसाधन और आधुनिक टैक्नोलॉजी तक पहुंच सकने का मौलिक अधिकार पाने के लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। अभी तक इस पर धनपतियों और वैश्विक कंपनियों का कब्जा है और भारत में बनी टैक्नोलॉजी और तकनीक या हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण है। हरेक व्यक्ति को इनका इस्तेमाल का अधिकार बिना किसी शुल्क के होना चाहिए। यह ऐसा क्रांतिकारी संशोधन होगा जो विश्व की बौद्धिक संपदा के साथ भारतीय समाज के विकास में अभूतपूर्व योगदान करेगा। आज की युवा पीढ़ी यानी जेन-जी के लिए वरदान होगा और अपना देश छोड़कर विदेशों में प्रतिभा का पलायन करने की रोकथाम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का यह स्वर्णिम अध्याय होगा और वे 2047 की बजाय 2030 तक ही अपनी घोषणाओं को साकार कर सकेंगे। देश भर में इंटरनैट और डिजिटल माध्यमों का उपयोग आसानी से करने के अधिकार से हरेक व्यक्ति इनसे अपनी और पूरे देश की सुरक्षा कर सकेगा। विदेशी या यहां तक कि कोई आतंकवादी भी भारतीय नागरिकों द्वारा स्वयं बनाए सुरक्षा चक्र को भेद नहीं सकेगा। ऐसी कोई भी गतिविधि तुरंत सार्वजनिक हो जाएगी और किसी विरोधी संगठन की हिम्मत नहीं होगी कि वह देश में किसी अनहोनी को अंजाम दे सके। प्रत्येक व्यक्ति का अपना सुरक्षा चक्र होगा और किसी भी क्षेत्र में इंटरनैट सेवाएं बंद करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि चोरी छिपे वारदात करने वाले देश या विदेश में कहीं भी हों, उन्हें हरेक नागरिक पहचान सकेगा। राजनीतिक सुधार संशोधन- राजनीतिक उथल-पुथल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए ताकि कोई भी सजायाफ्ता व्यक्ति किसी भी स्थिति में चुनाव न लड़ सके। दल बदल कानून की खामियों को दूर किया जाए और जो नेता या दल सत्ता में रहते हुए किसी भी तरह का घोटाला करते पाए जाएं वे सार्वजनिक रूप से अपमानित और दंडित हों तथा भविष्य में चुनाव लड़ने के अयोग्य हों। एक देश-एक चुनाव लागू हो और चुनाव आयोग पर किसी भी सरकारी कर्मचारी का अपने किसी भी चुनाव संबंधी कार्य में उपयोग करने पर कानूनी प्रतिबंध हो। जब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है तो वह अपने कार्य के लिए स्वयं अपना कैडर बनाए चाहे सीमित अवधि जैसा कि सेना में किया गया है, उस तरह कर्मचारियों की नियुक्ति करे, उन्हें प्रशिक्षित करे और स्पष्ट करे कि जिसे नियुक्त किया गया है वह पद अस्थायी या निश्चित अवधि के लिए ही है। निष्कर्ष यह है कि यदि संविधान को समझना है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वर्कशॉप, लर्निंग और ट्रेनिंग सैंटर हों। 75 वर्षों में 106 संशोधन होना संविधान का लचीलापन नहीं है, यह उसकी शक्ति है कि वह जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकता है कह सकते हैं हमारा संविधान डराता नहीं है बल्कि सुरक्षा कवच है और लोगों को मूल अधिकारों को समझना आसान बनाता है।

विकसित भारत : सुरक्षा आयाम- 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक सम्मेलन 29-30 नवंबर 2025

वैश्विक स्तरपर भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को अधिक मजबूत, अधिक तकनीक –आधारित और अधिक भविष्य- संवेदी बनाने की दिशा में 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में उभर कर सामने आया है। यह सम्मेलन 28 से 30 नवंबर 2025 तक नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित हो रहा है। इसमें देश के गृह मंत्री पहले ही शामिल हो चुके है, जबकि प्रधानमंत्री 29 और 30 नवंबर को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इतने उच्च-स्तरीय नेतृत्व की प्रत्यक्ष भागीदारी यह दर्शाती है कि भारत में सुरक्षा प्रशासन अब केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित मुद्दा नहीं रहा,बल्कि विकसित भारत के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभिन्न और केंद्रीय घटक बन चुका है। विकसित भारत- सुरक्षा आयाम विषय-सार इस सम्मेलन की यही भावी और बहु-आयामी दिशा दर्शाता है।इसमें वामपंथी उग्रवाद आतंकवाद-निरोध,आपदाप्रबंधन महिला सुरक्षा, साइबर-अपराध और फॉरेंसिक विज्ञान एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श हो रहा है। इन सभी क्षेत्रों में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और अब आवश्यकता है कि इन उपलब्धियों को एकीकृत कर एक ऐसे सुरक्षित भारत का निर्माण किया जाए, जो वैश्विक शक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को सुरक्षा दृष्टि से भी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके।यह सम्मेलन मूलतःएक ऐसे संवादात्मक मंच के रूप में विकसित हुआ है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उच्चतम स्तर के निर्णयकर्ता पुलिस प्रशासन की वास्तविक चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करते हैं।भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और निरंतर परिवर्तनशील देश में सुरक्षा चुनौतियाँ स्थिर नहीं है; वे लगातार रूप बदलती हैं, क्षेत्र विशेष के हिसाब से अपना अलग रूप लेती है और समय-समय पर तकनीकी, सामाजिक और भू-राजनीतिक स्वरूपों में विकसित भी होती रहती है। ऐसे वातावरण में पुलिस बलों के बीच अनुभवों का साझा होना, विभिन्न राज्यों के मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन, और केंद्र तथा राज्य सरकारों के स्तर पर एक एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। यह सम्मेलन वर्षों से इसी भूमिका को निभाता आया है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि 2025 का यह संस्करण अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत अब 2030 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुँचने का लक्ष्य ले चुका है,और विकसित राष्ट्र बनने का अर्थ आर्थिक उन्नति भर नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय घरेलू सुरक्षा संरचना भी है। साथियों बात अगर हम इस वर्ष के सम्मेलन की करें तो यह वामपंथी उग्रवाद पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। पिछले एक दशक में वामपंथी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन पूरी तरह से इसका उन्मूलन अभी शेष है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वामपंथी उग्रवाद केवल पुलिस युद्ध नहीं है;यह सामाजिक विश्वास बहाली विकास की पहुंच,स्थानीय शासन के सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक भागीदारी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है।यही कारण है कि इससम्मेलन में वामपंथी गतिविधियों के मूल कारणों की समीक्षा,प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास, सुरक्षा बलों के बेहतर संसाधन,और स्थानीय प्रशासन के समन्वय पर गहरी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही ड्रोन, उपग्रह निगरानी और एआई-आधारित पैटर्न विश्लेषण जैसे आधुनिक उपकरणों द्वारा उग्रवाद-निरोध को अधिक प्रभावी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।आतंकवाद निरोध एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे केवल जमीनी संघर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता।आधुनिक आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क, साइबर रिक्रूटमेंट, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और ड्रोन-आधारित हमलों जैसे नए रूपों में उभर रहा है।भारत के सामने चुनौती यह है कि वह वैश्विक आतंकवाद के इन नए चेहरों से निपटने के लिए अपने सुरक्षा संसाधनों को तकनीकी और वैचारिक दोनों स्तरों पर आधुनिक बनाए। सम्मेलन में यह चर्चा हो रही है कि आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए सूचना- साझाकरण तंत्र (इंटेलिजेंस शेयरिंग) को और अधिक समन्वित,तेजी से क्रियाशील और प्रौद्योगिकी- सक्षम बनाया जाए। साथ ही,कट्टरपंथ से लड़ने के लिए सामाजिक –मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। साथियों बात अगर हम इसके समानांतर,आपदा प्रबंधन भी इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण विषय है इसको समझने की करें तो जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ा रहा है, उससे पुलिस और सुरक्षा प्रशासन की भूमिका और चुनौती दोनों ही विस्तृत हुई है। बाढ़, भूकंप, तूफान, भूस्खलन और शहरी आग जैसी घटनाओं में पुलिस बल न केवल राहत और बचाव कार्यों में प्रथम उत्तरदाता के रूप में कार्य करता है,बल्कि संचार समर्थन, कानून- व्यवस्था बनाए रखने, तथा भीड़-प्रबंधन में भी उसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस सम्मेलन में यह विचार किया जा रहा है कि पूरे देश में आपदा-प्रबंधन के लिए पुलिस बलों को किस प्रकार आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और संसाधनों से लैस किया जाए, जिससे बड़ी त्रासदियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित योजना की आवश्यकता है, जिसमें केंद्रीय पुलिस बलों और राज्य पुलिस के बीच स्पष्ट भूमिकाएँ और तकनीकी सहायता संरचनाएँ निर्धारित हों। साथियों बात अगर हम महिला सुरक्षा को वर्तमान स्थिति में समझने की करें तो, 21वीं सदी में किसी भी आधुनिक और विकसित राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है।भारत में महिला सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएँ और तंत्र पहले से संचालित हो रहे हैं, लेकिन इस सम्मेलन का उद्देश्य इन योजनाओं का मूल्यांकन करना और एक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण तैयार करना है ताकि महिला सुरक्षा न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में भी समान रूप से सुनिश्चित हो। इसमें पुलिस की संवेदनशीलता प्रशिक्षण, महिला हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार, त्वरित जांच व्यवस्था, फॉरेंसिक सहायता का बढ़ा हुआ उपयोग, और ऑनलाइन अपराधों से सुरक्षा जैसे पहलुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच अक्सर देरी का शिकार होती है, क्योंकि पारंपरिक जांच पद्धतियाँ अत्यधिक समय लेने वाली होती हैं।इसीलिए, फॉरेंसिक विज्ञान और एआई-आधारित उपकरणों का उपयोग भविष्य की पुलिसिंग में अनिवार्य भूमिका निभाएगा। साथियों बात अगर हम फॉरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग को समझने की करें तो,यह इस सम्मेलन का सबसे नवोन्मेषी और आधुनिक पहलू है। विकसित देशों में फॉरेंसिक- सक्षम पुलिसिंग अब अपराध नियंत्रण की मूलधारा बन चुकी है। भारत में भी 2023 के बाद से फॉरेंसिक अनिवार्यता कानून लागू होने से बड़े अपराधों में वैज्ञानिक जांच प्रणाली को अनिवार्य किया गया है।2025 के इस सम्मेलन में यह चर्चा हो रही है कि फॉरेंसिक लैब्स को वैश्विक मानकों पर कैसे विकसित किया जाए, डीएनए प्रोफाइलिंग, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर- ट्रैकिंग और एआई-आधारित फेसियल रिकॉग्निशन जैसे क्षेत्रों में नए मानक कैसे स्थापित किए जाएं। एआई न केवल अपराध की जांच में मदद करेगा बल्कि अपराध की भविष्यवाणी, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आतंकवादी गतिविधियों के डेटा पैटर्न के विश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ेगी, जांच तेजी से पूरी होगी और न्याय व्यवस्था अधिक विश्वसनीय बनेगी।इस सम्मेलन का एक व्यापक उद्देश्य यह भी है कि पुलिस बलों के बीच परिचालन अवसंरचनात्मक और कल्याणकारी चुनौतियों पर सामूहिक चर्चा हो। पुलिस व्यवस्था आज जिस तरह के दबावों में कार्य करती है, वह किसी भी लोकतांत्रिक देश की सुरक्षा-व्यवस्था की केंद्रीय धुरी है।

लंबे कार्य घंटे, संसाधनों की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, आवास एवं परिवार कल्याण से जुड़ी समस्याएँ, और आधुनिक उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता न होना,ये सभी मुद्दे पुलिसिंग की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं। सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां पुलिस बलों को अत्याधुनिक उपकरण, बेहतर प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन, और पेशेवर उन्नयन के अवसर प्राप्त हों।सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर एक दूरदर्शी सुरक्षा रोडमैप तैयार करने पर भी विचार किया जा रहा है। विकसित भारत की अवधारणा केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं,बल्कि एक सुरक्षित समाज,सुव्यवस्थित कानून-व्यवस्था,सुचारु प्रशासन, और नागरिकों के अधिकारों की संपूर्ण सुरक्षा से ही संभव है। एक सुरक्षित भारत ही आर्थिक निवेश आकर्षित कर सकता है, वैश्विक व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है और सामाजिक सद्भाव को मजबूत कर सकता है। इस दृष्टि से यह सम्मेलन भविष्य के भारत की सुरक्षा संरचना को परिभाषित करने वाला एक निर्णायक अवसर है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक सम्मेलन भारत की आंतरिक सुरक्षा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

नशे का ट्रांजिट पॉइंट बनी दिल्ली

किसी समाज और देश को भीतर से खोखला करना हो तो उसकी युवाशक्ति को नशे के गर्त में धकेलना काफी है। हाल के वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में नशीले पदार्थों की बरामदगी, जब्ती और मादक पदार्थों की आपूर्ति के संजाल के खुलासों पर नजर दौड़ाई जाए, तो कह सकते हैं कि नशे की गिरफ्त में जाती हमारी युवा पीढ़ी ऐसे ही संकट से दो-चार है। मामला सिर्फ यह नहीं है कि चौकसी बरते जाने के कारण देश में मादक पदार्थों की भारी-भरकम खेपें पकड़ी जा रही हैं, बल्कि गंभीर पहलू यह भी है कि आखिर इस नेटवर्क में कौन लोग शामिल हैं, वे मादक पदार्थ कहां से आ रहे और कहां जा रहे हैं और इतनी भारी खपत हमारे देश के किन इलाकों व समाज के किन वर्गों के बीच हो रही है।इस समस्या का एक सिरा इससे भी जुड़ता है कि दिखावे की परंपरा, अमीरों जैसी रहन-सहन वाली शैली, परिवारों की टूटन, बेरोजगारी या अकेलेपन आदि ने ही तो कहीं हमारी युवा पीढ़ी को जाने-अनजाने नशे की अंधेरी गलियों में नहीं धकेल दिया है! देश के विभिन्न हिस्सों में मादक पदार्थों की धरपकड़ में इधर काफी तेजी आई है।दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी नशे की खेप 1 अक्तूबर को महिपालपुर से पकड़ी गई। एक गोदाम से 562 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम थाईलैंड के फुकेट से मंगाया गांजा जब्त किया गया। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 5640 करोड़ रुपये बताई गई। इससे पहले 360 किग्रा कोकीन पकड़ने का रिकॉर्ड था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और स्पेशल सेल ने 20 नवंबर को साउथ दिल्ली के छतरपुर स्थित एक फ्लैट से 328 किग्रा मेथाम्फेटामाइन जब्त किया, जिसकी इंटरनैशनल मार्केट में 262 करोड़ रुपये की कीमत आंकी गई है। कई देशों से कूरियर समेत अन्य माध्यमों से ड्रग्स को दिल्ली भेजा जाता है, जिसके बाद इसे अलग-अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता है। यह भी बात निकल कर आ रही है कि दिल्ली नशे के ट्रांजिट पॉइंट के रूप में बदलती जा रही है। दिल्ली में ड्रग रैकेट के तार फिल्म जगत से जुड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिनमें पॉपुलर इन्फ्लुएंसर ओरी और कई और फिल्मी हस्तियों के नाम जोड़े जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 'नशा मुक्त भारत' अभियान के तहत इस साल 31 अक्तूबर तक नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंसएक्ट के तहत 1915 केस दर्ज किए। इनमें 2498 नशा तस्करों और सप्लायरों को अरेस्ट किया। पारंपरिक नशे में चरस, अफीम, गांजा, स्मैक-हेरोइन और कोकीन की रिकॉर्ड जब्ती की गई। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं रुआक और मेकांग नदियों के संगम पर मिलती हैं और स्वर्ण त्रिभुज बनाती हैं। गोल्डन क्रीसेंट में अफगानिस्तान के साथ, यह 1950 के दशक से दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक रहा है। 21वीं सदी की शुरुआत तक, दुनिया की ज्यादातर हेरोइन गोल्डन ट्रायंगल से आती थी, जब अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र से निकटता के कारण, भारत की जनता इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाली नशीली दवाओं की भारी मात्रा से बुरी तरह प्रभावित है। यह समस्या छिद्रपूर्ण और अपर्याप्त सुरक्षा वाली सीमा के कारण और भी जटिल हो जाती है, जो नशीली दवाओं के तस्करों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। हेरोइन, जो सत्तर के दशक के मध्य में भारत के पूर्वोत्तर में प्रचलित हुई थी, 1984 के बाद इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो गई और 1990 तक इस क्षेत्र में हेरोइन की खपत में भारी वृद्धि देखी गई। इस तथ्य का प्रमाण नशेड़ियों की संख्या में भारी वृद्धि से मिलता है, जो 1990 में एक प्रतिशत से भी कम से बढ़कर 1991 में 50 प्रतिशत से अधिक और 1997 में 80.01 प्रतिशत हो गई। हालांकि, पूर्वोत्तर में तस्करी की जाने वाली हेरोइन बड़े पैमाने पर व्यावसायिक बिक्री के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से स्थानीय खपत के लिए होती है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि दक्षिण-पूर्व एशियाई मूल की हेरोइन देश में जब्त की गई कुल हेरोइन का केवल एक से दो प्रतिशत ही है। साथ ही, यह तर्क दिया जा सकता है कि नशीले पदार्थों की कम जब्ती का एक कारण अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कम निगरानी भी हो सकती है। गुवाहाटी और कोलकाता व दिल्ली जैसे अन्य शहरों में अधिकारियों द्वारा हेरोइन की खेपों को लगातार जब्त करना इस बात का संकेत है कि म्यांमार से हेरोइन की तस्करी में वृद्धि हो रही है। निस्संदेह मादक पदार्थों की खेप बरामद किया जाना यह बताता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चौकसी बढ़ाई है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी सक्रियता के चलते नशे का कारोबार करने वाले हतोत्साहित हो रहे हैं। उनकी सक्रियता पर रोक लगानी होगी और वह तब संभव होगा, जब जिला स्तर पर पुलिस भी नशे के कारोबार के खिलाफ सख्ती का परिचय देगी। वास्तव में पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच तालमेल बढ़ाने की आवश्यकता है। यह अच्छा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर कायम तालमेल को जिला स्तर पर भी स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तस्कर छोटे शहरों के स्कूली बच्चों को भी अपने निशाने पर ले रहे हैं। नशे का बढ़ता चलन केवल युवा पीढ़ी को खोखला ही नहीं कर रहा है, बल्कि वह देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि नशे के तस्कर देश विरोधी तत्वों और आतंकियों के साथ मिल गए हैं। स्पष्ट है कि नशे के कारोबारी देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गए हैं। इसको भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो हाल तक नशे के कारोबार से अछूते थे। अभी तक आम तौर पर देश के सीमावर्ती इलाके ही नशे के कारोबार के गढ़ के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब देश के अंदरूनी इलाकों में भी मादक पदार्थ पहुंच रहे हैं। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जहां यह आवश्यक है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी चौकसी बढ़ाए, वहीं यह भी जरूरी है कि समाज में भी मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता पैदा हो। किशोरों और युवाओं के बीच यह संदेश पहुंचाना ही होगा कि मादक पदार्थों का सेवन केवल तबाही की ओर ले जाता है।

संविधान दिवस का सन्देश

निश्चित रूप से यह भारतीय संविधान की ताकत ही है कि इसके माध्यम से श्री नरेन्द्र मोदी जैसा चाय बेचने वाले गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा आज देश का प्रधानमन्त्री बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार देता है और प्रत्येक नागरिक को अपनी प्रतिभा के अनुसार विकास करने के अवसर सुलभ कराता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जो एक वोट का अधिकार दिया गया है उसी का यह कमाल है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठने का सपना पाल सकता है। भारत के लोकतन्त्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि एक वोट की ताकत से आम आदमी सत्ता की कुर्सी पर जा बैठता है। अतः इस एक वोट की लोकतन्त्र में कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। परन्तु यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि संविधान जिस बराबरी का अधिकार नागरिकों को देता है उसकी मार्फत एक झोपड़ी में पैदा हुआ व्यक्ति महलों में पैदा हुए राजा-महाराजाओं का भी मुकाबला कर सकता है। इसका प्रमाण यह है कि 1971 के लोकसभा चुनावों में साधारण परिवेश से आने वाले लोगों ने देश के उद्योगपतियों से लेकर पूर्व राजा-महाराजाओं तक को चुनावों में परास्त किया। बेशक ये उद्योगपति या राजा-महाराजा किसी भी पार्टी के टिकट से खड़े हुए हों मगर इन्हें हराया साधारण वर्ग से आये हुए लोगों ने ही। इन चुनावों में देश के बिड़ला समूह के अधिपति स्व. के.के. बिड़ला को राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं टाटा समूह के अधिपति मुम्बई से हारे और फरीदाबाद से एस्कार्ट्स ट्रैक्टर कम्पनी के मालिक एच.पी. नन्दा धराशायी रहे। जबकि गुड़गांव सीट से पटौदी रियासत के नवाब व क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी मरहूम मंसूर अली खान पटौदी अपनी जमानत तक जब्त करा बैठे। भरतपुर के महाराज बृजेन्द्र सिंह अपनी रियासत के पूर्व कर्मचारी से चुनावी मैदान में हार गए। इसी प्रकार 1977 के आम चुनावों में मध्यप्रदेश की रीवा रियासत के महाराजा मार्तंड जू सिंह देव को एक नेत्रहीन प्रत्याशी स्व. के.के. शास्त्री ने चुनाव में हरा दिया। यह सब भारत के लोकतन्त्र में ही संभव था क्योंकि इसका संविधान सभी नागरिकों को एक तराजू पर रखकर तोलता है। इतना ही नहीं यदि हम भारत के उद्योगपतियों का इतिहास भी निकालें तो पायेंगे बहुत छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले लोग कालान्तर में देश के जाने-माने उद्योगपति बने। इनमें स्व. रामकृष्ण डालमिया व किर्लोस्कर आदि का नाम लिया जा सकता है। परन्तु संविधान की सबसे प्रमुख बात यह है कि यह भारत की पांच हजार साल पुरानी संस्कृति में पहली ऐसी पुस्तक है जो लोगों को विभिन्न ऊंच-नीच के खांचों में नहीं रखती बल्कि मानवता के आधार पर हर व्यक्ति को एक बराबरी पर रखती है और सबके अधिकार बराबर देती है। इसमें न धर्म आड़े आता है और न जाति। इंसानियत के आधार पर इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय पाने का अधिकार है। इसी संविधान दिवस को पूरा देश 26 नवम्बर को मनाता है। इसी दिन 1949 में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान सभा को सौंपा था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्वयं समाज के सबसे निचले तबके से आते थे और भारतीय समाज की विसंगतियों को बखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने संविधान में सन्त कबीर से लेकर गुरु नानक तक के फलसफों का समावेश किया और सभी भारतीयों को इंसानियत के नजरिये से देखा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने बन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साथ पैंपलखेडा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08863)

पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी है प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट का सदस्य अमित टाटा

लखनऊ । कोडीन युक्त सीरप के अवैध कारोबार में दुकानदार से लेकर सफेदपोश तक की भूमिका है। यह काला कारोबार पूर्वांचल के कई बाहुबलियों के संरक्षण में फल-फूल रहा था। प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह का कनेक्शन भी सामने आया है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए और गहनता से छानबीन कर रही हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग ने वाराणसी के दवा के फुटकर कारोबारियों से लेकर रांची के सुपर स्टाकिस्ट शैली ट्रेडर्स तक खरीद-फरोख्त की पूरी चेन को खंगाला है। एफएसडीए के अधिकारियों की टीम ने रांची से सीरप की खरीद से जुड़े मेडिकल स्टोर्स के दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। इसके बाद प्रदेश में कोडीन युक्त सीरप के अवैध बिक्री के कारोबार की जड़ें खंगालनी शुरू की गई हैं। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) भी लखनऊ से गिरफ्तार अमित सिंह उर्फ अमित टाटा को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही, बीते दिनों सहारनपुर से पकड़े गए विभोर राणा और विशाल सिंह को भी पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। एसटीएफ तीनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े बड़ों तक पहुंचा जा सके। मामले के मास्टरमाइंड वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। उसके दुबई भाग निकलने की आशंका है। सूत्रों का कहना है कि अमित टाटा व शुभम बेहद करीबी रहे हैं और दोनों पूर्व में कई बार एक-साथ दुबई की यात्राएं भी कर चुके हैं। इससे शुभम के दुबई में होने की आशंका और गहरा गई है। गाजियाबाद पुलिस ने शुभम जायसवाल के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर भी जारी कराया है। अमित टाटा पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह का भी करीबी है। एफएसडीए के एक अधिकारी के अनुसार शैली ट्रेडर्स एबाट हेल्थ केयर कंपनी का सुपर स्टाकिस्ट है। रांची के औषधि विभाग के अधिकारियों से शैली ट्रेडर्स से कोडीन युक्त सीरप लेने वाले वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, प्रयागराज, सुलतानपुर व अन्य जिलों के मेडिकल स्टोर्स की जानकारी इकट्ठा की गई है। इसमें ही वाराणसी मंडल और आसपास के जिलों के 93 से अधिक मेडिकल स्टोर को कोडीन युक्त सीरप भेजने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब के नेतृत्व में 12 से 14 नवंबर तक हुई जांच में पूरे अवैध नेटवर्क को खंगाला गया। जांच में पता चला कि नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीरप के अवैध कारोबार के रैकेट में पूर्वांचल के कई सफेदपोश भी शामिल हैं। इससे एफएसडीए ने पूरी सावधानी बरतते हुए इनके खिलाफ भी सबूत इकट्ठे करके कार्रवाई आगे बढ़ाई। एफएसडीए के अनुसार शैली ट्रेडर्स ने वर्ष 2023 से 2025 तक

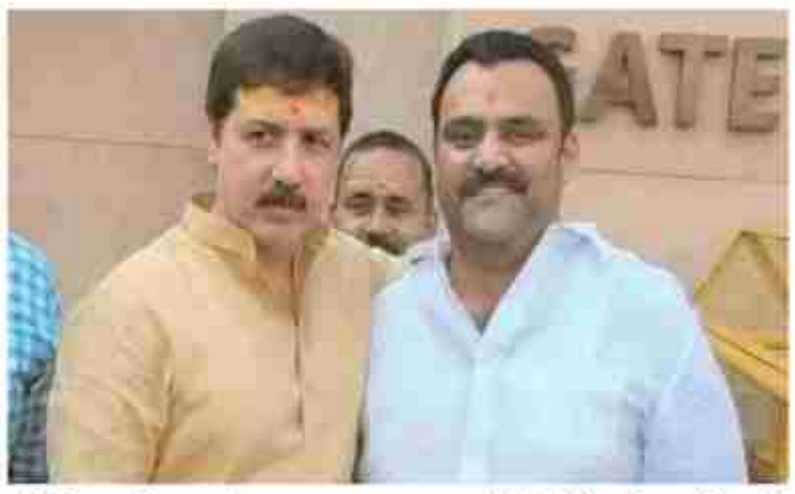

फेंसेडिल सीरप की 89 लाख शीशियां खरीदी थीं। इसमें से 84 लाख शीशियां वाराणसी मंडल के 93 मेडिकल स्टोर को भेजना दिखाया गया। वाराणसी की सृष्टि फार्मा, जीटी इंटरप्राइजेज, शिवम फार्मा, हर्ष फार्मा, डीएसए फार्मा, महाकाल मेडिकल स्टोर, निशांत फार्मा, वीपीएस मेडिकल एजेंसी और श्री बालाजी मेडिकल बंद थीं। डीएसए फार्मा और महाकाल मेडिकल केवल कोडीन युक्त दवाओं की अवैध खरीद और बिक्री कर रहे थे। मेसर्स जीडी इंटरप्राइजेज ने सीरप की 2.14 लाख शीशियां खरीदीं, लेकिन बिक्री का रिकार्ड उनके पास नहीं था। न्यू पीएल फार्मा ने सीरप की 2.16 लाख शीशियां बंद फर्म श्री बालाजी मेडिकल को बेचना दिखाया। ड्रग कंट्रोलर शशि मोहन का कहना है कि इन सभी के साथ ही 87 फर्मों पर एफआइआर कराई जा चुकी है। अभी अन्य की जांच जारी है। इसमें कई सफेदपोशों के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। इसे एसटीएफ के साथ साझा किया रहा है। कोडिनयुक्त कफ सीरप की तस्करी मामले में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा अमित सिंह 'टाटा' राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटा था।

वह जौनपुर के रामपुर ब्लाक से प्रमुख का चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था। अमित टाटा ने कुछ वर्ष पहले ठेकेदारी का काम लेना शुरू किया तो चुनौतियां मिलने लगीं। वर्चस्व की लड़ाई जीतने के लिए उसने सफेदपोशों से साठगांठ शुरू की।

इस दौरान उसकी करीबी जौनपुर के सांसद रहे बाहुबली धनंजय सिंह के साथ हो गई। धनंजय ने भी कई अवसरों पर टाटा को अपना करीबी बता दिया। लखनऊ में उसकी गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में कफ सीरप तस्करी की जांच कर रही एसआइटी भी उसके खिलाफ सुबूत जुटा रही है। डीसीपी क्राइम व एसआइटी अध्यक्ष सरवणन टी. ने कहा कि अमित टाटा ने अपने पिता के नाम से दवा की दो फर्में बनाई हैं। इनका पता लगाया जा रहा है। जौनपुर के सुरेरी के सीतूपुर गांव निवासी (हाल पता बृजइंक्लेव, वाराणसी) अमित टाटा के खिलाफ कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। इनमें छह मुकदमे बनारस और एक लखनऊ में दर्ज है। इनमें तीन मामलों चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, एक मामले की जांच चल रही है और दो मामलों में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। पिछले दिनों अमित सिंह की मौजूदगी में कफ सीरप तस्करी गिरोह का सरगना शुभम जायसवाल एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहा था, इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। अमित टाटा के खिलाफ पहला मुकदमा कैंट पुलिस ने 2009 में सरकारी सेवक को धमकाने, रंगदारी मांगने, तोड़फोड़ समेत पांच धाराओं में दर्ज किया था।

इसकी जांच पूरी भी नहीं हो पाई कि कैंट पुलिस ने अमित के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले में आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई। 2014 में सारनाथ पुलिस ने जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी है। 2023 में जानलेवा हमला, धमकी देने का केस दर्ज हुआ। इसमें भी फाइनल रिपोर्ट लगाई जा चुकी है। 2015 में खुशहाल नगर के अनिल कुमार सिंह ने जमीन का मालिकाना हक बनाकर उसे बेचने का केस दर्ज कराया। इस बारे में पूछने पर उन्हें गालियां और जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की जांच में पुलिस ने जार्चशीट दाखिल की। 2016 में कैंट पुलिस ने देसी पिस्टल लेकर घूमने का केस दर्ज किया, जिसकी जांच में चार्जशीट लगाई गई। 2021 में चौबेपुर के राजा आनंद ज्योति सिंह (अब दिवंगत) ने जबरन वसूली समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराए जिसमें पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया। इस साल राजातालाब के बभनियांव निवासी विकास सिंह ने अमित टाटा समेत चार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रयास आदि में केस दर्ज कराया। एफएसडीए के अनुसार शैली ट्रेडर्स ने वर्ष 2023 से 2025 तक फेंसेडिल सीरप की 89 लाख शीशियां खरीदी थीं। इसमें से 84 लाख शीशियां वाराणसी मंडल के 93 मेडिकल स्टोर को भेजना दिखाया गया। वाराणसी की डीएसए फार्मा और महाकाल मेडिकल केवल कोडीन युक्त दवाओं की अवैध खरीद और बिक्री कर रहे थे। मेसर्स जीडी इंटरप्राइजेज ने सीरप की 2.14 लाख शीशियां खरीदीं, लेकिन बिक्री का रिकार्ड उनके पास नहीं था। न्यू पीएल फार्मा ने सीरप की 2.16 लाख शीशियां बंद फर्म श्री बालाजी मेडिकल को बेचना दिखाया। ड्रग कंट्रोलर शशि मोहन का कहना है कि इन सभी के साथ ही 87 फर्मों पर एफआइआर कराई जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर घमासान, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में याचिका

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर घमासान जारी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर तमाम शिकायतों के मद्देनजर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व का प्रस्ताव (याचिका) दाखिल किया है। लोक महत्व का प्रस्ताव के माध्यम से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही इन मीटरों की जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के तहत उपभोक्ताओं को पोस्टपेड या प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाने का विकल्प दिया जाए। इस बीच पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने स्मार्ट मीटर व स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर दावा किया है कि कोई भी स्मार्ट मीटर तेज चलते नहीं पाया गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार से मुलाकात कर प्रस्ताव दाखिल किया। प्रस्ताव में कहा गया कि उपभोक्ताओं के घरों में जो कंपनियां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही हैं, उनमें से दो मीटर निर्माता कंपनियों लिंकवेल टेली सिस्टम प्रा. लि. तथा एप्पलटोन इंजीनियर्स प्रा. लि.के सिंगल फेज इलेक्ट्रानिक मीटर जांच में तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। डिस्प्ले में गड़बड़ी, इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट की खराब गुणवत्ता के मामले सामने आए हैं। फिर भी मीटर खरीदे जा रहे हैं। ऐसे में परिषद ने मांग की है कि सभी कंपनियों के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नमूने सीपीआरआइ(केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान) को जांच के लिए भेजे जाएं। जांच रिपोर्ट आने तक कंपनियों का भुगतान रोका जाए। मीटरों में बड़े पैमाने पर चीनी कंपोनेंट्स लगाए जाने की जांच कराई जाए। आयोग इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे। पावर कारपोरेशन प्रबंधन का कहना है कि कुछ संगठन आयोग के टैरिफ आदेश की भ्रामक व्याख्या कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर पूरी तरह सही, पारदर्शी और उपयोगी है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए 3.41 लाख चेक मीटर लगाए गए हैं। एक भी स्मार्ट मीटर तेज चलते हुए नहीं पाया गया है। प्रबंधन का कहना है कि टैरिफ आदेश में कहा गया है कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर नहीं बदले जा सकते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रीपेड मीटर की अनिवार्य स्थापना के खिलाफ जनहित याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। जब तक एक स्पष्ट कानूनी समझ नहीं बनती, आयोग ने कहा है कि चाहे मीटर प्रीपेड हो या पोस्टपेड उपभोक्ता को सही मीटर दिया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने ई-रिक्शा पंजीकरण के लिए लखनऊ का स्थायी निवासी होने की शर्त को किया निरस्त, कहा- ऐसी शर्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

लखनऊ। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी में ई-रिक्शा के पंजीकरण के लिए लखनऊ का स्थायी निवासी होने की अनिवार्य शर्त संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी शर्त समानता, व्यवसाय की स्वतंत्रता व जीवन के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने अजीत यादव की याचिका समेत चार याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के पश्चात पारित किया है। याचिकाओं में कहा गया था कि पांच फरवरी, 2025 को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) लखनऊ ने एक आदेश पारित करते हुए ई-रिक्शा के पंकीजरण के संबंध में दो प्रतिबंध लगा दिए थे। पहले प्रतिबंध के तहत जिस व्यक्ति के पास पहले से ई-रिक्शा का पंजीकरण है उसे नए रिक्शे का पंजीकरण नहीं मिलेगा और दूसरे प्रतिबंध के तहत लखनऊ में स्थायी तौर पर निवास करने वाले व्यक्ति को ही नए ई-रिक्शा का पंजीकरण मिलेगा। याचिकाओं में लखनऊ में स्थायी निवास संबंधी दूसरी शर्त को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं पर जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि लखनऊ में किराए पर रहने वाले ई-रिक्शा मालिकों को फिटनेस की समाप्ति आदि के संबंध में नोटिस देने में दिक्कत होती है। उनका पता बदल जाता है तो तलाशना मुश्किल हो जाता है। न्यायालय इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और इसे किराये पर रहने वाले व्यक्तियों को पंजीकरण से वंचित रखने का उचित आधार नहीं माना। न्यायालय ने कहा कि ई-रिक्शा की संख्या को नियंत्रित करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे एक वर्ष में निश्चित मात्रा में ही पंजीकरण किया जाए और वैध फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाले ई-रिक्शा को जब्त कर लिया जाए, लेकिन लखनऊ में स्थायी निवास न होने के आधार पर पंजीकरण से इन्कार करना मनमाना है।

उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की ऑनलाइन सेवाएं आज रात दस बजे से रहेंगी बंद, 14 घंटे बाद होंगी शुरु

लखनऊ । उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन व सहयोगी विद्युत वितरण कंपनियों की आरएमएस बिलिंग प्रणाली, बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के लिए भी तैयार करने के मद्देनजर शनिवार रात्रि दस बजे से रविवार दोपहर 12 बजे तक कुल 14 घंटे बंद रहेगी। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम के अपग्रेडेशन होने के दौरान इस अवधि में बिलिंग प्रणाली, आनलाइन उपभोक्ता पोर्टल तथा यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप पर उपलब्ध बिल भुगतान, स्मार्ट मीटर रिचार्ज, बिल जनरेशन, भार वृद्धि जैसी सभी आनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। उपभोक्ता किसी भी सहायता के लिए 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आज रात से रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में ओटीएस के विवरण को अपग्रेड करा रहा है। इस दौरान लखनऊ समेत प्रदेश भर में 29 नवंबर की रात 10 बजे से बिजली उपभोक्ता सेवाएं 14 घंटे तक ठप रहेंगी। इस दौरान न तो ऑनलाइन बिल जमा होंगे और न ही मीटर रिचार्ज हो सकेंगे। उपभोक्ता अपने मीटरों को 29 नवंबर को रात 10 बजे से पहले रिचार्ज कर सकते हैं। अधीक्षण अभियंता (आईटी) अरविंद सिंह ने इस संबंध में शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक 29 नवंबर की रात 10 से 30 नवंबर दोपहर 12 बजे तक उपभोक्ता संबंधी कोई काम न तो कार्यालय में होगा, और न ही ऑनलाइन।

बीएलओ ओमवीर ने पूरी की शत-प्रतिशत एसआइआर फीडिंग

मुरादाबाद । विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को लेकर बीएलओ के उत्पीड़न, खुदकुशी करने जैसे मामलों के बीच मुरादाबाद के एक बीएलओ ने जीवटता प्रदर्शित की है। हाथ में लगी चोट दरकिनार कर बीएलओ ओमवीर सिंह ने एसआइआर को प्राथमिकता दी और सौ प्रतिशत फार्म भराने वाले जिले के पहले बीएलओ बन गए। उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरदारनगर बूथ की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां 751 मतदाता पंजीकृत हैं। बीएलओ की जिम्मेदारी मिलने पर ओमवीर ने आठ नवंबर से गणना-पत्र बांटे और 25 नवंबर तक उसे वापस लेकर आनलाइन फीडिंग भी करा दी। 17 नवंबर को कोहनी पर चोट के चलते उनका हाथ सूज गया था, पर उन्होंने छुट्टी नहीं ली। एक दिन भी एसआइआर का काम नहीं रोका। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि यह दूसरों के लिए सीख है। मूलरूप से सरकड़ा खास स्थित रामपुर भीला गांव के निवासी ओमवीर सिंह साल 2021 में शिक्षक बने। भगतपुर टांडा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय चूहानगला में उन्हें तैनाती मिली। एसआइआर का कार्य शुरू होने पर उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदारनगर का बीएलओ नियुक्त किया गया। भाग संख्या-179 वाले बूथ पर कुल 751 मतदाता हैं। ओमवीर बताते हैं कि आठ नवंबर से घर-घर पहुंचकर गणना पत्र बांटना शुरू किया। चार दिन में सभी गणना पत्र बांट दिये। फिर फार्म भराकर जमा करने शुरू किये। इस बीच 17 नवंबर को घर पर नहाते वक्त चोट लग गई। पूरे हाथ में सूजन आ गई। असहनीय पीड़ा से काम करना मुश्किल था। फिर भी चोट को दरकिनार कर एसआइआर का काम जारी रखा। 20 नवंबर तक सभी फार्म जमा करा लिये। फिर फीडिंग का काम शुरू किया। 25 नवंबर तक सारे फार्मों की आनलाइन फीडिंग कर वह जिले के पहले ऐसे बीएलओ बन गए जिन्होंने सौ फीसद काम पूरा कर लिया। ओमवीर के इस प्रयास की जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम अनुज सिंह ने भी सराहना की। कहा कि ओमवीर सभी के लिए नजीर हैं। उनसे सभी को सीख लेनी चाहिए। इधर, ओमवीर ने बताया कि कोई काम मुश्किल नहीं है। सरकारी सेवा में हूं। लिहाजा जो जिम्मेदारी मिलती है। उसे पूरा करना ही है।

ऐसे में पूरे मनोयोग से काम करता हूं। उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। सौ फीसद एसआइआर का काम भी इसी का परिणाम है। उत्पीड़न, अपरिहार्य स्थिति के बाद भी छुट्टी ना मिलने जैसे सवालों पर कहा कि ऐसा नहीं है।

भारत में पहली बार: लाल किले में होगा यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत समिति का 20वां सत्र, पीएम कर सकते हैं उद्घाटन

नई दिल्ली। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीन दीवारें इस वर्ष दिसंबर में एक अलग ही स्वर सुनेंगी। विश्व संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक बैठक यहां होगी। भारत सरकार पहली बार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति (आईसीएच) के 20वें सत्र की मेजबानी कर रही है। यह महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन आठ से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसमें दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यमुना तट पर खड़े इस विश्व धरोहर स्थल को इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्ता के कारण चुना गया है। परिसर में स्थित 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, याद-ए-जलियां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय और आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र इस आयोजन को और भी अर्थपूर्ण बनाएंगे। वहीं, इस बैठक में भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी, इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज (आईसीएच) से जुड़े सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी है।

24 देशों के प्रतिनिधि आएंगे भारत

यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के तहत गठित इस समिति में इस बार कुल 24 देश इस सांस्कृतिक बैठक का हिस्सा बनेंगे। इनमें अल्जीरिया, फ्रांस, स्लोवाकिया, अंगोला, जर्मनी, स्पेन, बांग्लादेश, हैती, युगांडा, बारबाडोस, भारत, यूक्रेन, बुर्किना फासो, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, मॉरिटानिया, उज्बेकिस्तान, डोमिनिकन रिपब्लिक, नाइजीरिया, वियतनाम, इथियोपिया, पराग्वे और जाम्बिया शामिल हैं।

यूनेस्को सूची में दर्ज भारत के 15 सांस्कृतिक तत्व होंगे प्रदर्शित

इस सम्मेलन की तैयारी भारत का संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी कर रहे हैं। भारत की कई सांस्कृतिक परंपराएं पहले से ही यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में दर्ज हैं, जैसे वैदिक मंत्रोच्चारण, कुटियाट्टम (संस्कृत थिएटर), रामलीला, रम्माण (गढ़वाल), छऊ नृत्य, कालबेलिया नृत्य (राजस्थान), मुदियेट्टु (केरल) और लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, जिसकी प्रस्तुति इस दौरान दी जाएगी।

प्रतिभागियों के लिए तीन-चरणीय पंजीकरण

सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधियों के लिए तीन स्टेप अनिवार्य हैं

1. यूनेस्को पंजीकरण (इंडिको प्लेटफॉर्म)

-ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

-स्वीकृति के बाद नाम [illegible] में दिखाई देगा।

-पुष्टि ईमेल से भेजी जाएगी।

2. मेजबान देश पंजीकरण (भारत सरकार) - वेबसाइट https://w@conw@wz.culture.gov.in पर लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी।

-यही जानकारी वीजा प्रक्रिया में भी काम आएगी।

-इसी आधार पर 20.COM बैज तैयार किया जाएगा।

3. बैज प्राप्त करना

-प्रतिभागियों को अपना बैज 7 दिसंबर 2025, शाम 5 बजे तक लाल किले के स्थल से लेना होगा।

-बैज वितरण छह दिसंबर सुबह 10 बजे से शुरू होगा।

-बिना बैज किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा।

सम्मेलन की कार्यवाही ऑनलाइन भी देख सकेंगे लोग

सभी बहसें और चर्चाएं ऑनलाइन प्रसारित होंगी, ताकि इच्छुक लोग दुनिया भर से उन्हें देख सकें। हालांकि, लाइव प्रसारण में दिखाई देने वाली भाषा-व्याख्या केवल समझने में मदद के लिए होगी। मूल भाषण ही आधिकारिक माना जाएगा।

सरपंचों और पंचों से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अपील

सड़क या कोई अन्य काम चल रहा हो, वहां जाकर गुणवत्ता जरूर जांचें -सीएम मान

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यहां एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले सरकार ने 19,373 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए 4,092 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब इसे बढ़ाते हुए कुल 44,920 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके टेंडर जारी किए जाएंगे। इन सड़कों के लिए 16,209 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उन्होंने सड़क ठेकेदारों से बैठक कर साफ कहा है कि उनसे कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और सड़क बनाते समय कोई अफसर भी उनसे पैसे नहीं मांगेगा। बस यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क की क्वालिटी से कोई समझौता न हो। उन्होंने ठेकेदारों से अपील की कि वे सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी न रखें। यह जनता का पैसा है और अगर यह जनता के काम आए तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। उन्होंने बताया कि जब गांव की पंचायतें सड़क के मटीरियल और गुणवत्ता से संतुष्ट होंगी, तभी ठेकेदारों को भुगतान जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गांवों के सरपंचों और पंचों से भी अपील की कि जहां सड़क या कोई अन्य काम चल रहा हो, वहां जाकर गुणवत्ता जरूर जांचें। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सड़कों की जांच के लिए एक फ्लाइंग टीम बनाई गई है। जिस भी ठेकेदार को सड़क का टेंडर मिलेगा, उसकी 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उसी ठेकेदार की होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य हो रहा है। सरकार ने बताया कि इन सड़कों पर होने वाला पूरा खर्च पंजाब सरकार खुद उठा रही है और इसमें RDF (रूरल डवलपमेंट फंड) का कोई पैसा शामिल नहीं है।

गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, बोले- बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी भरपूर आर्थिक मदद

गोरखपुर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि वह बिना चिंता किए उच्चीकृत अस्पतालों में इलाज कराएं, सरकार उनकी भरपूर आर्थिक मदद करेगी। उपचार में जो भी धनराशि खर्च होगी, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। सीएम योगी ने इसे लेकर अफसरों को निर्देशित भी किया कि जिन लोगों को उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार देर शाम गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद शनिवार सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों से एक-एक करके समस्याएं सुनीं और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को हस्तगत किए। उन्होंने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशान न होना पड़े। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उसकी समस्या का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। पारिवारिक मामलों के निस्तारण में दोनों पक्षों को एकसाथ बैठाकर संवाद करने को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए यदि कोई पात्र व्यक्ति शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है तो उसे तत्काल योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग (खासकर महिलाएं) स्वयं या परिजनों के गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। एक बिटिया ने अपनी मां के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मनुहार की तो सीएम योगी ने कहा, चिंता मत करो, इलाज कराओ, पैसे की व्यवस्था कर दी जाएगी। अन्य लोगों को भी उन्होंने इसी आत्मीयता से भरोसा दिया कि सरकार किसी भी जरूरतमंद के इलाज में धन की कमी को बाधक नहीं बनने देगी। विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी।

*सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं

*इलाज के लिए आर्थिक मदद का वादा

*अधिकारियों को प्राथमिकता से समाधान के निर्देश

देश की पहली डिजिटल जनगणना का ट्रायल रन शुरू, साउथ दिल्ली में प्री-टेस्ट एक्सरसाइज से परखे जा रहे सारे सिस्टम

नई दिल्ली। देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना से पहले उसके तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए साउथ दिल्ली के एक गांव में प्री-टेस्ट एक्सरसाइज शुरू की गई है। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग जनगणना 2027 के लिए नोडल एजेंसी है, जो अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच आयोजित की जाएगी। एक वरिष्ठ राजस्व विभाग अधिकारी ने बताया कि यह ट्रायल रन इस बात का आकलन करने के लिए है कि डिजिटल जनगणना में उपयोग होने वाली प्रक्रियाएं और एप्लिकेशन कितने प्रभावी और पर्याप्त हैं। अधिकारी के अनुसार, इस परीक्षण का सैंपल आकार लगभग 2,000 लोगों का है। 10 नवंबर से शुरू हुई यह प्री-टेस्ट कवायद रविवार को समाप्त होगी। इसमें मोबाइल ऐप, डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली, डिजिटल सिस्टम और जनगणना 2027 के मुख्य अभ्यास के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स को परखने और बेहतर बनाने का कार्य शामिल है।

राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन हुआ

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राजधानी कोलकाता में स्थित राज्यपाल आवास का नाम बदलने का एलान किया है। अभी तक इसे राज भवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम लोक भवन कर दिया गया है। राज्यपाल सीवी आनंद का यह फैसला काफी चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल के पास स्थित बांग्लादेश सीमा का भी दौरा किया था। इसके बाद उन्हें ट्रेन में आम लोगों की तरह यात्रा करते हुए देखा गया था। वहीं, डॉ. सीवी आनंद बोस ने ट्रेन में मिली शिक्षिका के अनुरोध पर स्कूल में अभ्यार्थियों से मुलाकात की थी। इसके बाद अब उन्होंने अपने आवास का नाम बदलने पर भी मुहर लगा दी है।

दो कारों की की टक्कर में दो बच्चों समेत पांच की मौत

कुरनूल। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दो कारों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि हादसा कुरनूल जिले के कोटेकल गांव के पास हुआ। येम्मीगनूर उपखंड पुलिस अधिकारी एन बरखावी के

अनुसार, हादसा तड़के 4.30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167 पर हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए कुरनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित कर्नाटक के निवासी थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे में मारे गए लोग कर्नाटक के कोलार के निवासी थे। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में मारे गए लोगों में दो पुरुष, एक महिला और दो बच्चे शामिल हैं। ये लोग कोलार के गांव चिक्कहोसहल्ली से मंत्रालयम स्थित राघवेंद्र स्वामी मंदिर जा रहे थे।

हमारे बीच कोई मतभेद नहीं- सिद्दरमैया

■ डीके शिवकुमार संग ब्रेकफास्ट के बाद बोले सिद्धारमैया- बीजेपी को झूठे आरोप लगाने की आदत

नई दिल्ली। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे कथित नेतृत्व विवाद की खबरों पर विराम लगाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शनिवार को एक अनोखे अंदाज में सामने आए।

दोनों शीर्ष नेताओं ने न केवल एक साथ ब्रेकफास्ट (नाश्ता) किया बल्कि बाद में संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जिसमें उन्होंने आपसी अनबन की सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया।मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मीडिया के सामने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और मैं आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का एकमात्र एजेंडा राज्य में कांग्रेस को 2028 के अगले विधानसभा चुनावों में फिर से सत्ता में वापस लाना है। दोनों नेताओं ने पुष्टि की कि उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों पर रणनीति बनाई। 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। यह तय किया कि वे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत सुनिश्चित करेंगे।

हाईकमान का फैसला सर्वोपरि

सिद्धारमैया ने हाईकमान के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हुए कहा, हमने तय किया है कि हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसे मानेंगे। कल से कोई कन्फ्यूजन (भ्रम) नहीं रहेगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने यह भ्रम पैदा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है और ऐसी खबरें आधारहीन हैं।

विपक्ष पर सीधा निशाना- अविश्वास प्रस्ताव बेकार की कोशिश

दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से विपक्ष, यानी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर पर निशाना साधा। सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस को झूठे आरोप लगाने की आदत है। उन्होंने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी को खारिज करते हुए कहा- उनके पास (बीजेपी और जेडीएस) पर्याप्त संख्या नहीं है। बीजेपी के पास सिर्फ 60 विधायक हैं और जेडीएस के पास 18 विधायक हैं। वे हमारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास 140 विधायक हैं। उन्होंने इसे -बेकार की कोशिश- बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे आरोपों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में कांग्रेस की आंतरिक एकजुटता को दर्शाने और राज्य में प्रशासनिक स्थिरता का भरोसा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

लोकतंत्र खत्म करने की साजिश- अखिलेश यादव

एसआईआर पर सवाल, बीएलओ की मौत का भी उठाया मुद्दा

***चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं : अखिलेश यादव बोले- ऐसा वेस्ट बंगाल के लोग कह रहे, एसआईआर के लिए जल्दी क्यों?**

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं. अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर के नाम पर आरक्षण और अधिकार छीने जाएंगे. साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारों पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जो चाहती थी, चुनाव आयोग वो करता है. साथ ही उन्होंने बीएलओ की मौतों के मामले को भी उठाया और कहा कि पीड़ितों के परिवारों को एक करोड़ की सहायता राशि और बाकी सरकारी सुविधाएं दी जाए. अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और चुनाव आयोग पर बरसते हुए कहा कि एसआईआर के नाम पर आरक्षण और अधिकार छीने जाएंगे. उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कल फतेहपुर में मृतक के परिवार ने बताया कि मृतक के ऊपर जल्दी काम करने का दबाव बनाया जा रहा था. इसी दबाव में आत्महत्या कर ली. उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंग गए हैं. उप-चुनाव में चुनाव आयोग के काम को हमने देखा है कि कैसे बूथ लूटने दिया. बीजेपी जो चाहती थी वो चुनाव आयोग करता है. यह लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है. साथ ही उन्होंने कहा कि घोसी विधानसभा के विधायक के निधन के बाद तेरहवीं नहीं हुई, लेकिन 20 हजार वोट काटने की तैयारी हो गई है. इस दौरान अखिलेश यादव ने मलीहाबाद के मृतक बीएलओ विजय कुमार पत्नी को दो लाख रुपए का चेक सौंपा. इस दौरान उन्होंने सरकार से पीड़ितों के परिवारों को एक करोड़ की सहायता राशि और बाकी सरकारी सुविधा देने की मांग की. साथ ही कहा कि एसआईआर में लगे बीएलओ पर अधिकारी दबाव बना रहे हैं. हम मांग करते हैं कि दबाव ना बनाया जाए, यह बेहद संवेदनशील मामला है.

नेशनल हेराल्ड : अदालत ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मामले में आदेश 16 दिसंबर तक टाला

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में अपना आदेश शनिवार को टाल दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश सुनाए जाने की तारीख 16 दिसंबर तक टाल दी है। निदेशालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ दिवंगत पार्टी नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस तथा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी 'यंग इंडियन पर साजिश एवं धन शोधन का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने लगभग 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की उन संपत्तियों का अधिग्रहण किया जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की हैं। उसने आरोप लगाया कि गांधी परिवार के पास 'यंग इंडियन के 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्ति को ''धोखाधड़ी से हड़प लिया। आरोप पत्र में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पित्रोदा, दुबे, सुनील भंडारी, 'यंग इंडियन और 'डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं।

भाईचारा ही हमारी परंपरा, झगड़ा करना हमारे स्वभाव में नहीं - संघ प्रमुख मोहन भागवत

नागपुर।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि झगड़ा या विवाद करना हमारे देश का स्वभाव नहीं है और भाईचारा और सामूहिक सद्भाव हमेशा से भारत की परंपरा रहा है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मोहन भागवत ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद का विचार बुनियादी तौर पर पश्चिमी विचार से अलग है।

झगड़ा करना हमारे देश का स्वभाव नहीं

संघ प्रमुख ने कहा हमारी किसी के साथ बहस नहीं होती। हम विवादों से दूर रहते हैं। झगड़ा करना हमारे देश का स्वभाव ही नहीं है। मिल-जुलकर रहना और भाईचारे को बढ़ावा देना ही हमारी परंपरा रही है। भागवत ने कहा कि दुनिया के अन्य हिस्से संघर्षों से भरे हालात में बने। वहां जब एक राय बन जाती है तो उसके अलावा हर विचार को अस्वीकार कर दिया जाता है। वे दूसरे के विचारों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं और इसी ...इज्म कहना शुरू कर देते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद का विचार बुनियादी तौर पर पश्चिमी व्याख्या से अलग है। उन्होंने कहा वे (पश्चिमी देश) राष्ट्र को लेकर हमारे विचारों को नहीं समझते। इसलिए उन्होंने इसे राष्ट्रवाद कहना शुरू कर दिया, लेकिन हमारा राष्ट्र का विचार पश्चिम के विचार से अलग है। ये एक देश है या नहीं... हमारे बीच इसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। हम मानते हैं कि ये एक राष्ट्र है, जो प्राचीन समय से मौजूद है। भागवत ने कहा कि हम राष्ट्रीयता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रवाद का नहीं। देश को लेकर बहुत ज्यादा गर्व दो विश्वयुद्ध करा चुका है इसलिए कुछ लोग राष्ट्रवाद शब्द से डरते हैं। भारत का राष्ट्रीयता का बोध गर्व और अहंकार से नहीं निकला बल्कि गहन आत्मचिंतन और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व से निकला है।

भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो भारत पर गर्व करता है, वह हिंदू है। भागवत ने हिंदू को सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि सभ्यतागत पहचान बताया। उन्होंने कहा कि भारत और हिंदू एक ही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी सभ्यता पहले से ही इसे जाहिर करती है। हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है, जो हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत और हिंदू पर्यायवाची हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र होने के लिए किसी आधिकारिक घोषणा की जरूरत नहीं है।

-: श्रीलंका में दित्वाह से तबाही :-

मौतों का आंकड़ा 123 के पार व लाखों लोग प्रभावित, संकटमोचक बना भारत

नई दिल्ली। चक्रवात दित्वाह ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 123 हो गई है, जबकि 130 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं। डीएमसी के अनुसार 3,73,428 लोग और 1,02,877 परिवार बाढ़, भूस्खलन और तेज हवाओं से प्रभावित हुए हैं। महा ओया घाटी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि क्षेत्र में बेहद गंभीर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अनुराधापुर-पुत्तलम रोड पर काला ओया पुल के पास बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने पर 60 यात्रियों से भरी एक बस बहने लगी। लगभग 40 लोगों, जिनमें एक विदेशी महिला भी शामिल थी, को सुरक्षित निकाला गया। रात में बढ़ते जलस्तर की वजह से बचाव अभियान रोकना पड़ा था। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत 27 टन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि और सहायता भी रास्ते में है। भारतीय एनडीआरएफ की दो टीमें (80 कर्मी) श्रीलंका पहुंच चुकी हैं और राहत-बचाव कार्य में जुट गई हैं।